न्यायालय, सहायक कलक्टर, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़

(पीठासीन अधिकारी – विकास पंचोली आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्या:–19 / 2021

GCMS No. -2021/37

1. शिवलाल पिता हीरालाल जी जाति धाकड आयु वयस्क निवासी सरसी तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़ राज०

वादी

बनाम

1. लाभचन्द पिता दयारामजी जाति सुथार आयु वयस्क निवासी सरसी तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०

2. भैरुलाल पिता दयारामजी जाति सुथार आयु वयस्क निवासी सरसी तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०

3. गोपाल पिता नानालाल जी जाति सुथार आयु वयस्क निवासी सरसी तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०

4. भागीरथ पिता, पूरणमलजी जाति सुथार आयु वयस्क निवासी सरसी तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा–188,209 राजस्थान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम –1955

उपस्थित– श्री नरेन्द्र वैष्णव – अधिवक्ता वादी

निर्णय

दिनांक:–09.12.2024

1. पत्रावली वाद पत्र अन्तर्गत धारा–188,209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 का वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। वादी के खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात वाके मौजा सरसी प०ह० सरसी तह० निम्बाहेड़ा की खाता संख्या 426 की आराजी नं0 862 रकबा 0.1200 हैक्टेयर रुपये स्थित हैं। जिसके पडोस पूर्व में लक्ष्मीनारायण पिता दौलतरामजी धाकड, पश्चिम में सरसी से मैलाना जाने का मेन रोड, उत्तर में रास्ता, दक्षिण में सरकारी भूमि चरनोट जिस पर लोकेश पिता सुरेश धाकड निवासी सरसी का कब्जा स्थित हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2025.01.29 14:23:54 IST
Reason: SelfAttested

2. वादग्रस्त आराजीयात वर्णित [illegible] खातेदारी व कब्जे काश्त की चली आ रही हैं। उक्त आराजीयात पर वा[illegible] तरीके से काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा हैं, त[illegible] से लगी हुई वादी की खातेदारी कब्जे काश्त [illegible] जिससे प्रतिवादीगण का [illegible] की उक्त वादग्रस्त आराजीयात से कोई तालुक सरो[illegible] संबंध नही है प्रतिवादी[illegible]नके परिवारजन झगडालु एवं आपराधिक प्रवृत्ति के [illegible] हैं जो राजनैतिक प्रभा[illegible] हैं, तथा पैसे वाले है इसलिए प्रतिवादीगण वादी की गरीबी व कमजोरी का नाजायज फायदा उठाने की नियत से वादी की स्वामित्व आधिपत्य की आराजीयात के पश्चिम दिशा मे रास्ते के पास वाली वादी की स्वामित्व आधिपत्यकी आराजीयात में जबरन अनाधिकृत रुप से नाजायज कब्जा करने की नियत से मौके पर जेसीबी से जबरन

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

Scanned by CamScanner

कर जबरन नाजाज कब्जा करने की नियत से पत्थर की दिवाल बना कर नाजायज कब्जा करने पर आमादा हैं।

3. वादी ने प्रतिवादीगणो को वादी के खातेदारी कब्जे काश्त की आराजी में जबरन नाजायज कब्जा करने से मना करने पर प्रतिवादीगण लडाई झगडा करने पर आमादा हैं तथा वादी एवं गांव के मौतबीर व्यक्तियों द्वारा प्रतिवादीगण को समझाने बुझाने पर भी प्रतिवादीगण किसी भी सुरत मे मानने को तैयार नही हैं, इसलिए वादी प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्रचलित कराना चाहता है तथा प्रतिवादीगण द्वारा वादी की खातेदारी व कब्जे की आराजीयात पर दौराने दावा जबरन नाजायज कब्जा कर निर्माण कार्य कर लेने की सुरत में जरिये अदालत प्रतिवादीगण का दौराने दावा किये गये नाजायज कब्जे को हटाया जाकर पुनः दावा पेश करने की स्थिति बहाल कराने के अधिकारी हैं व जरिये अदालत वादी कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी हैं और प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्रचलित कराने का अधिकारी हैं।

4. वाद कारण दिनांक 04/02/2021 को जब प्रतिवादीगण ने वादी की खातेदारी व कब्जे की आराजीयात में अनाधिकृत रुप से नाजायज कब्जा करने की नियत से वादी की खातेदारी कब्जे काश्त की आराजी के पश्चिम दिशा की आराजीयात में जबरन अनाधिकृत रुप से नींवे, गढ्ढे खोदने का प्रयास किया और नाजायज कब्जा करने की धमकियां दी तथा वादी ने प्रतिवादीगण को जबरन नाजायज कब्जा करने हेतु मना किया तो मौके पर प्रतिवादीगण ने वादी से लडाई झगडा किया और वादी व गांव के मौतबीर व्यक्तियो द्वारा प्रतिवादीगण को समझाने बुझाने पर भी प्रतिवादीगण किसी भी सुरत मे मानने को तैयार नही हुवे से हर रोज उत्पन्न होकर यह दावा अंदर अवधी पेश है।

5. वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण बावजूद तामील अनुपस्थित रहने से प्रतिवादीगण के विरुद्ध एक तरफा कार्यावाही के आदेश दिये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में वादीगण के अधिवक्ता ने जमाबन्दी की प्रति पेश की जो प्रदर्शः 1 है। नक्शे की प्रति प्रदर्शः2 है।

6. बहस विद्वान अधिवक्ता वादी की सुनी गई। मिसल का अवलोकन करते हुए पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गंहनता से अध्ययन किया गया। अधिवक्ता वादीगण की बहस एक पक्षिय सुनी गई। अधिवक्ता वादीगण की बहस सुनने उपरान्त पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। वादी का वाद कतई डिक्री किया जाता है। प्रतिवादी को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादी के खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात वाके मौजा सरसी पटवार हल्का सरसी तहसील निम्बाहेडा के आराजी नम्बर 862 रकबा 0.12 हैक्टेयर भूमि में वादी को अपनी खातेदारी भूमि में शांतिपूर्ण तरीके से काबिज रहकर काश्त करने दे एवं उपयोग उपभोग करने दे उसमें किसी प्रकार की बाधा पैदा नहीं करें न करावें, वादी की खातेदारी कब्जे काश्त की आराजियात के पश्चिम दिशा की भूमि पर जबरन नाजायज कब्जा नहीं करे न करावे। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो

निर्णय आज दिनांक 09.12.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2025.01.29 14:23:54 IST
Reason: SelfAttested

(विकास पंचोली)
सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा (चित्तौड़गढ़

Scanned by CamScanner